

भाषा शिक्षण का राष्ट्रीय महत्व

डॉ. उषा रानी मलिक

शिक्षा विभाग

सूरजमल शिक्षा संस्थान

नई दिल्ली

सारांशिका

देश में जिस भाषा का प्रचलन अधिक होगा तब निश्चित रूप से उस भाषा का स्वतः ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। वस्तुतः भाषा के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जाता है कि जिस भाषा को आसानी से सभी मनुष्य आसानी से बोल सकते हैं और लिख, पढ़ सकते हैं और आसानी से एक-दूसरे से सम्पर्क कर सकते हैं वही भाषा अधिक विकसित होती चली जाती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा सामाजिक स्तर पर उसी भाषा को बोल बाला बढ़ जाता है और उस भाषा का शैक्षिक स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण का सम्बन्ध केवल भाषा के सीखने सिखाने तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि अनेक अन्य सन्दर्भों में भी भाषा शिक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्रीय स्तर पर भाषा बोली जाती है। जब किसी भी देश में एक, दो या उससे भी अधिक भाषाएँ बोली और समझी जा सकती हैं। यह सभी भाषाएँ राष्ट्रीय, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर पर अपना अलग-अलग महत्व रखती हैं। जब एक ही देश में एक भाषा राजभाषा होती है तब उस देश में कोई अन्य भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। इसी प्रकार उस देश में विभिन्न भाषा-भाषी बोलने वाले लोग भी हो सकते हैं। इतनी भाषाएँ किस प्रकार शिक्षण को प्रभावित कर सकती हैं और यह समझना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक भाषा के सम्बन्ध में इससे भाषा का शिक्षण प्रभावित होकर बदल जाता है जिससे भाषा के कारण परिवेश भी बदलता रहता है।

मुख्य शब्द: भाषा, राष्ट्रीय, काव्य, अस्तित्व, नीति।

प्रस्तावना

वास्तव में देखा जाए तो किसी भी देश की भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना की संवाहक होती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष की अपनी सोच-समझ होती है। वह वैसा ही व्यवहार करता है। इसी तरह से प्रत्येक देश की एक राजनैतिक भावना भी होती है जो उसे अन्य देशों से अलग करती हुई चलती है। इतना ही नहीं भाषा जहाँ एक ओर राष्ट्रीय एकीकरण का उपादान होती है वहीं दूसरी ओर वह कभी-कभी समाज में उत्पन्न होने वाले विरोध एवं विद्वेष के कारण भी वहाँ दिखाई देने लगते हैं। आजकल राष्ट्र में ऐसी भाषा नीति बनाई जा रही है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो जाए। क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। आजकल राजभाषा, राष्ट्रभाषा और सम्प्रेषण भाषा के रूप में भाषा का अस्तित्व महत्वपूर्ण हो गया है। इसी तरह से अनेक भाषाओं के होते हुए प्रत्येक भाषा-भाषी लोग अपनी भाषाई अस्मिता के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि उनकी भाषा का महत्व कोई कम न कर दे। आजकल सभी जानते हैं कि भाषाई अस्मिता का महत्व क्या है और भारत में बहुत से समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय अपनी भाषा का महत्व बनाए रखने के लिए उसकी अस्मिता के महत्व को जानते हैं जिनके कारण अपनी भाषा के प्रति अधिक महत्वपूर्ण सजगता उसमें दिखलाई पड़ती है। आज भाषा को लेकर प्रत्येक भाषा-भाषी लोगों के अन्दर अपनी भाषा के प्रति एक सम्मोहन सा जाग रहा है जिसके परिणामस्वरूप उसका राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व निरन्तर बढ़ रहा है।

वस्तुतः सामान्य अर्थ में राष्ट्र शब्द किसी देश का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसमें अनेक राज्य समाहित रहते हैं। वास्तव में एक राष्ट्र कई राज्यों को अपने में समेटे हुए रहता है। अतः उस राष्ट्र का एक जनसमूह होता है जिसकी विभिन्न राष्ट्रों से एक अलग पहचान एवं अस्तित्व दिखलाई देता है। इस सम्बन्ध में कबीर की राष्ट्रीय भाषा देखिए “कबीर की भाषा पूरवी जनपद की भाषा थी। यह भाषा यद्यपि अत्यन्त साधारण थी तथापि इसमें भावों की अभिव्यञ्जना की बड़ी शक्ति है। हमें सुघुक्कड़ी भाषा का नाम भी दिया गया।”¹ इस आधुनिक परिवेश में किसी भी राष्ट्र के भीतर उस जनसमूह की पहचान ही उन्हें आपस में जोड़े रखती है जिसके कारण राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद बनता है। भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की अवधारणा एक ओर जहाँ एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत एक आधुनिकविचारधारा के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक दूसरी ओर यह एक मजबूत विश्वास के साथ अदृष्ट गहरें सम्बन्ध को भी दर्शाता है। यह ऐसा विश्वास उत्पन्न करता है कि जो अपने देश के प्रति मनुष्य के अन्दर एकजुड़ाव उत्पन्न करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति अन्दर-बाहर रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान भाषा के प्रति बनाता है। एक देश जब राष्ट्रवाद राष्ट्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है

और राष्ट्रवाद के उभरने में सत्रहवीं सदी के आसपास यूरोप में आधुनिक राज्य के प्रति जुड़ाव ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अतः सन् 1968 में इंग्लैण्ड में हुई ग्लोरियस रेवोल्यूशन के द्वन्द्व में पूंजीपति वर्ग के लिए लैटिन भाषा का शब्द ‘नेशियो’ महत्वपूर्ण बना हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ‘नेशन’ बन गया था। अतः बहुजातीय तथा बहुभाषी राज्य को एकजुट करने में राष्ट्रवाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका एक अपना अस्तित्व स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ता है। इस सम्बन्ध में डॉ. लक्ष्मी सागर वार्षण्य ब्रज भाषा के सम्बन्ध में लिखते हैं कि—“सूर ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि सिद्ध होते हैं। ब्रज भाषा का साधारण, संशोधित और अपभ्रंश रूप से सूर के समकालीन वार्ता शाहेक तक में पाया जाता है।”² भारतीय परिवेश में एक भाषा राष्ट्रीय स्तर भी कितनी बहुमुखी प्रतिभाशाली के स्वरूप को अपनाकर अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है। यह भारतीय कवियों एवं लेखकों की भाषा के प्रति सजगता और जागरूकता दिखाता है।

इस आधुनिक परिवेश में किसी भी राष्ट्र के एकीकरण में उसकी भाषा के योगदान को आज के समाज भाषा के अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस सम्बन्ध में डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि—“काव्य में अप्रयुक्त भाषा को इतना सुन्दर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग चार सौ वर्षों तक उत्तर भारत की कविता का सार, राग, विराग, प्रेम, प्रीति, भजन, भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ।”³ भाषा न केवल सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है बल्कि वह हमारी पहचान का भी एक अंग है। वह किसी भी राष्ट्र की अस्मिता का अस्तित्व को दर्शाता है। हमारे देश में कई जाति, लिंग, समुदाय और वर्ग के लोग रहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी वर्गों के लोगों की भाषा एक जैसी हो इसलिए अनेक भाषाओं में से कौन-कौन सी भाषा तथा भाषाओं को किस श्रेणी में रखा जाए। इस तरह से भाषा कभी-कभी एक ही राष्ट्र के विभिन्न समुदायों के बीच विषम भाव उत्पन्न होने का कारण भी बन जाती है। वास्तव में ‘भाषा का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। एक ओर वह व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति का माध्यम बनी हुई है तो तब दूसरी ओर उसके समाजीकरण का साधन बन जाती है। एक ओर वह समाज में सम्प्रेषण व्यवस्था का स्वाभाविक सचेतन माध्यम भी बनती चली जाती है। वह सभी व्यक्तियों को सामाजिक वर्गों में बाँधने और उनसे विलगाव उत्पन्न करने का कारण भी कभी-कभी बन जाती है।

जब देश में भाषा और भाषा शिक्षण नीति के इस प्रभाव के प्रति जनसामान्य सजग और सचेत नहीं होता है किन्तु इससे कोई देश विघटित भी हो सकता है अथवा संगठित तब वह कृषक प्रधान सामंती प्रथा का निर्वाह करता रह पायेगा या फिर वह किसीराष्ट्रीय प्रधान मशीनी युग का निर्माण से अलग रहकर अन्य राष्ट्रों से अलग हो जायेगा। वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करेगा तथा उनसे प्रभावित होने की ओर बढ़ने लगेगा। इसलिए इन सबका सम्बन्ध भाषा शिक्षण नीति के साथ देखा जा सकता है। आजकल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्बन्धों एवं सम्प्रेषण व्यवस्था का निर्वाह बिना भाषा और भाषा शिक्षण सम्बन्धी नीति के सम्भव नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्र में ऐसी भाषा को अपनाया जाना चाहिए जो एक-दूसरे व्यक्तियों को जोड़कर रखे और साथ ही साथ अपने भावना किसी न किसी भाषा में सम्प्रेषित कर पाने में सक्षम हो जाए। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति अपनी बात भाषा के द्वारा समझाता है और दूसरा व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ लेता है तब उसका भाषा सम्प्रेषण ठीक होता है। ऐसी भाषा धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर एक नयी पहचान बनाती हुई अपने अस्तित्व की महिला पर पहुँच जाती है। व्यक्ति के भाव सम्प्रेषण के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है और देश के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए भाषा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब कोई भाषा-भाषी सम्प्रेषण के लिए भाषा सीखता है और सिखाता है। तब उसके अपने अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं। इसी तरह से जब किसी राजनैतिक कारण से भाषा को सीखा-सिखाया जाता है तब उसके उद्देश्य बदल जाते हैं। वास्तव में व्यक्ति का सम्प्रेषण के लिए भाषा सीखने का अर्थ है अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना एवं दूसरों के विचारों को जानने की उक्तता उसमें बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति में राजनैतिक कारणों से भाषा को सीखने में उसे अपने देश की संस्कृति तथा विचार को सीखना और समझना होता है। वस्तुतः जब कोई भी शिक्षार्थी जिस भाषा का शिक्षण अपनी सुविधा के अनुसार करतापाया है और तबव्यक्ति के प्रत्येक सन्दर्भ में उसकी अपेक्षाएँ बदल जाती हैं जिसके कारण उसका जीवन भी बदलता रहता है। वह ऐसी भाषा का चुनाव करता है जो आसानी से बोली जाए और समझी जाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान एवं अस्तित्व पर बराबर बना रहे। आजकल प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी भाषा का प्रचार-प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर। आजकल प्रत्येक राज्य भी राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र की भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं और शैक्षिक स्तर पर भी उसमें सुधार कर रहे हैं। इस बदलते परिवेश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक भाषा अपना महत्व बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपनी सरलता के अनुसार जागृत करती हुई निरन्तर आगे बढ़ती है क्योंकि व्यक्ति सरल भाषा की ओर जल्दी अग्रसर होता है और कठिन भाषा की ओर उसका ध्यान स्वतः ही कम हो जाता है। प्रायः देखने में यह आता है कि क्षेत्रीय भाषा भी क्षेत्रीय लोगों को प्रभावित करती हुई अपने को आकर्षित करती है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर जिस भाषा में अधिक बोलते हैं और सीखते हैं और अपने भाव को सम्प्रेषित करते हैं वही भाषा राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्वशाली बन जाती है।

निष्कर्ष –

इस आधुनिक परिवेश में किसी भी राष्ट्र के एकीकरण में उसकी भाषा के योगदान को आज के समाज भाषा के अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस सम्बन्ध में डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि—“काव्य में अप्रयुक्त भाषा को इतना सुन्दर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग चार सौ वर्षों तक उत्तर भारत की कविता का सार, राग, विराग, प्रेम, प्रतीत, भजन, भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ।”³ भाषा न केवल सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है बल्कि वह हमारी पहचान का भी एक अंग है। वह किसी भी राष्ट्र की अस्मिता का अस्तित्व को दर्शाता है। हमारे देश में कई जाति, लिंग, समुदाय और वर्ग के लोग रहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी वर्गों के लोगों की भाषा एक जैसी हो इसलिए अनेक भाषाओं में से कौन-कौन सी भाषा तथा भाषाओं को किस श्रेणी में रखा जाए। इस तरह से भाषा कभी-कभी एक ही राष्ट्र के विभिन्न समुदायों के बीच विषम भाव उत्पन्न होने का कारण भी बन जाती है।

वास्तव में 'भाषा का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। एक ओर वह व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति का माध्यम बनी हुई है तो तब दूसरी ओर उसके समाजीकरण का साधन बन जाती है। एक ओर वह समाज में सम्प्रेषण व्यवस्था का स्वाभाविक सचेतन माध्यम भी बनती चली जाती है।

सन्दर्भ सूची :-

1. सम्पादक, मोहम्मद शब्बीर, डॉ. शशि कुमार शशिकान्त—हिन्दी भाषा और साहित्य, पृष्ठ संख्या—47, के.एल. प्रकाशन, दिल्ली—2019
2. डॉ. लक्ष्मी सागर वार्णेय—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या—112
3. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी—सूर साहित्य, पृष्ठ संख्या—95

